सं. 10/2/2013- समन्वय Vol. III (55)

No. 10/2/2013-Coord.

(11)-1

भारत सरकार

Government of India

जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

नई दिल्ली, दिनांक: सितम्बर 2014

New Delhi, Dated: September, 2014

15 SEP 2014

विषय : संसोधन आदेश ।

Subject: Amendments order.

निम्नलिखित कागजातों की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न किया जा रहा है :

A copy of following papers is enclosed herewith for information and guidance:

संख्या एवं तारीख No. & date	किससे प्राप्त हुई From whom received
सं0 1/20/6/2014-मंत्रि0 दिनॉक : 29 अगस्त 2014	मंत्रिमंडल सचिवालय
No. 1/20/6/2014-Cab. Dated 29th August, 2014	Cabinet Secretariat

(संजीत कुमार भगत)

(Sanjeet Kumar Bhagat)

अनुभाग अधिकारी (समन्वय)

Section Officer (Coord.)

To

1. Heads of all organizations under the Ministry.
2. All Wing Heads / All Division Heads in the Ministry.
3. PS to Hon'ble Minister (Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)
4. PS to Hon'be MoS (Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)
5. PPS to Secretary(WR)
6. PS to AS(WR)
7. Guard file.

CE(HRM)/Dir(TC) 22.9.2014

23.09.14

Dir(Adm)

23.9.14

S.O.(EIV)

Sh. Singh

EIV डा.सं./Dy No. 1172 दिनांक/Dt. 25-9-14

Doc.No. 555/ 2014.
Amendment Series No. 66

No.1/20/6/2013-Cab.
Government of India (Bharat Sarkar)
Cabinet Secretariat (Mantrimandal Sachivalaya)
Rashtrapati Bhavan

New Delhi, the 29th August, 2014.
Bhadrapada 7, 1936(s)

ORDER

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 6 and sub-rule (ii) of rule 7 of the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules), the Prime Minister hereby makes the following further amendments in the said rules, namely:–

1. In the First Schedule to the said rules,–

(a) in serial number 3 relating to the Cabinet Committee on Economic Affairs, under the heading "Functions",-

(i) in entry (v), for item (a), the following item shall be substituted, namely:–

"(a) proposals for investment of more than one thousand crore rupees including those recommended by the Public Investment Board/Expenditure Finance Committee/Expanded Board of the Railways or any other appraisal fora/ committee except in cases where separate thresholds have been laid down by the Cabinet, Committee of the Cabinet or other competent authority; and";

(ii) after entry (xii), the following shall be inserted namely:-

"Note 1: Matters in respect of functions under sub-paragraph (xii) will, unless modified by the competent authority specified in sub-rule (4) of rule 6, be put up for the approval of the Minister of Finance, the Minister of Road Transport and Highways and the Minister-in-charge of the administrative Ministry concerned with the public sector enterprise whose proposals come for consideration.

Note 2: The above composition shall, if modified by the competent authority, be duly notified by the Cabinet Secretariat.

...2/-

Note 3: The above mechanism shall be serviced by the Department of Disinvestment.";

(b) in serial number 6 relating to the Cabinet Committee on Security, under the heading "Functions",–

(i) in entry (vi),-

(A) in item (a), in sub-item (II), after the words "in respect of the", the words "Capital Works projects," shall be inserted;

(B) in item (b), for the words "more than rupees three hundred crore", the words "more than one thousand crore rupees" shall be substituted;

(C) after item (b), the following item shall be inserted, namely:–

"(c) involving capital expenditure of more than two hundred fifty crore rupees in respect of land acquisition by the Department of Defence where land acquisition is undertaken separately;";

(ii) in entry (viii), in item (ii), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:–

"Provided that no case of revised cost estimate where such revised cost estimate is one thousand crore rupees or less or other cases falling within the powers delegated to other authorities by the Central Government, shall be required to be brought before the Cabinet Committee on Security except in cases, where the Minister-in-charge directs any case to be placed before the Committee:";

(c) in serial number 8 relating to the Cabinet Committee on Skill Development, under the heading "Functions", after the entry (iv), the following shall be inserted, namely:–

"Note: Monetary threshold laid down for submission of cases before the Cabinet Committee on Economic Affairs shall also be followed for clearance of cases, where required, by the Cabinet Committee on Skill Development.".

2. In the Second Schedule to the said rules, in clause (h),-

(a) in entry (ii), for the words "more than rupees three hundred crore", the words "more than one thousand crore rupees" shall be substituted;

(b) in entry (iv), in item (2), in the proviso, for the words "three hundred crore", the words "one thousand crore rupees" shall be substituted;

(c) in entry (v), for the words "not less than rupees three hundred crores", the words "more than one thousand crores rupees" shall be substituted.

(Sanjukta Ray)
for Cabinet Secretary
Tele: 2379 2204

To
All Members of the Council of Ministers.

(Sanjukta Ray)
for Cabinet Secretary

***

Copy also forwarded for information to:-

Secretary to the President.
Secretary to the Vice-President.

(Sanjukta Ray)
Director

Copy also forwarded for information to: -

Principal Secretary to the Prime Minister.

(Sanjukta Ray)
Director

***

Copy forwarded to all Secretaries/Special Secretaries/Additional Secretaries to the Government of India/Chairman, Railway Board/Establishment Officer, Department of Personnel and Training, for information.

(Sanjukta Ray)
Director

***

Copy forwarded to the Official Language Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice for information.

(Sanjukta Ray)
Director

Copies: 300

प्रलेख सं0 555/2014
संशोधन अवलि सं0 66

(59)

(11)-5

सं0 1/20/6/2013–मंत्रि0
भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली, तारीख 29 अगस्त, 2014
7 भाद्रपद, 1936 (शक)

आदेश

प्रधानमंत्री, भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 के उपनियम (1) और नियम 7 के उपनियम (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

1. उक्त नियमों की प्रथम अनुसूची में,-

(क) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संबंधित क्रम संख्याक 3 में, ''कृत्य'' शीर्षक के अधीन,-

(i) प्रविष्टि (v) में, मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-
''(क) एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के विनिधान के प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत लोक विनिधान बोर्ड/व्यय वित्त समिति/रेलवे विस्तारित बोर्ड अथवा अन्य किसी अंकक फोरम/समिति द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्ताव भी हैं, ऐसे मामलों के सिवाय जहां मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समिति अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक अवसीमाएं अधिकथित की गई हों; और'';

(ii) प्रविष्टि (xii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
''टिप्पण 1: जब तक नियम 6 के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी उपांतरित न कर दे तब तक उप-पैरा (xii) के अधीन कृत्यों के संबंध में मामले, वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा उस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जिसके प्रस्ताव विचारार्थ आएं, से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के भारसाधक मंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे ।
टिप्पण 2: यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त संरचना को उपांतरित कर दिया जाता है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा सम्यक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा ।
टिप्पण 3: विनिवेश विभाग उपर्युक्त तंत्र को सेवा प्रदान करेगा ।'';

...2/-

(ख) सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संबंधित कम संख्याक 6 में, ''कृत्य'' शीर्षक के अधीन,-

(i) प्रविष्टि (vi) में:-

(क) मद (क) में, उप-मद (II) में, ''के संबंध में'' शब्दों के पश्चात्, ''पूंजी कार्य परियोजनाएं,'', शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (ख) में, ''तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक'' शब्दों के स्थान पर, ''एक हजार करोड़ रुपए से अधिक'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
''(ग) रक्षा विभाग द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में, जहां भूमि अर्जन पृथक रूप से किया गया है, दो सौ पचास करोड़ रूपए से अधिक के पूंजी व्यय अंतर्वलित हों;'';

(ii) प्रविष्टि (viii) में, मद (ii) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

''परंतु यह कि पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन के ऐसे किसी मामले को, जहां ऐसा पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन एक हजार करोड़ रुपए अथवा उससे कम है, या केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर आने वाले अन्य मामलों को, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष लाना, उन मामलों के सिवाय जहां भारसाधक मंत्री किसी मामले को इस समिति के समक्ष रखने का निदेश देता है, अपेक्षित नहीं होगा:'';

(ग) कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संबंधित क्रम संख्याक 8 में, ''कृत्य'' शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''टिप्पण: आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष मामलों को प्रस्तुत करने के लिए अधिकथित धनीय अवसीमा का अनुसरण कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा भी, जहां अपेक्षित हो, मामलों की अनुमति देने के लिए किया जाएगा ।'';

2. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में, खंड (ज) में,-

(क) प्रविष्टि (ii) में, "तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार करोड़ रुपए से अधिक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) प्रविष्टि (iv) में, मद (2) के, परन्तुक में, "तीन सौ करोड़" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार करोड़" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) प्रविष्टि (v) में, "तीन सौ करोड़ रुपए से कम" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार करोड़ रुपए से अधिक" शब्द रखे जाएंगे ।

संयुक्ता राय
(संयुक्ता राय)
कृते मंत्रिमंडल सचिव
दूरभाष: 2379 2204

सेवा में,

मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य ।

संयुक्ता राय
(संयुक्ता राय)
कृते मंत्रिमंडल सचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित:-

राष्ट्रपति के सचिव
उप-राष्ट्रपति के सचिव

संयुक्ता राय
(संयुक्ता राय)
निदेशक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित:-

प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव ।

संयुक्ता राय
(संयुक्ता राय)
निदेशक

प्रतिलिपि, भारत सरकार के सभी सचिवों/विशेष सचिवों/अपर सचिवों/अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड/स्थापना अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

संयुक्ता राय
(संयुक्ता राय)
निदेशक

प्रतिलिपि, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को सूचनार्थ प्रेषित ।

संयुक्ता राय
(संयुक्ता राय)
निदेशक

प्रतियां : 300